

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] No. 200] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 14, 2019/पौष 24, 1940

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 14, 2019/PAUSHA 24, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2019

का.आ. 298(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 78(अ), तारीख 04 फरवरी,1999 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 27 के 0.000 कि.मी. (रारा-2 का 211.700 कि.मी.) से 45.62 कि.मी.(इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना का.आ. 838 (अ), तारीख 26 मार्च, 2013 को अधिसूचना का.आ. 896 (अ), तारीख 26.03.2014 द्वारा संशोधित करते हुए एतद्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में नैनी ब्रिज के 0.000 कि.मी. (रारा- 2 का 211.700 कि.मी.) से 5.410 कि.मी. (रारा-27 का नया संरेखण) (इलाहाबाद-मंगावन सेक्शन) के प्रयोग के लिए शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है;

और यतः प्राधिकरण ने अब निम्नलिखित तीन टोल प्लाजाओं पर शेष पूंजीगत लागत की वसूली के लिए, नैनी टोल प्लाज़ा को सटे हुए अन्य तीन प्लाजाओं के साथ स्थानांतरित अथवा विलय करने का निर्णय लिया है, अर्थात;

- (i) इलाहाबाद-मिर्ज़ापुर रोड पर इलाहाबाद जिले के मुंगारी गाँव में रारा- 76 ई (नया रारा-35) पर 417.250 किमी;
- (ii) इलाहाबाद-उ.प्र./म.प्र. सीमा रोड पर इलाहाबाद जिले में गन्ने के पास हारो गाँव में रारा- 30 (पुराना रारा-27) पर 38.200 कि.मी.;
- (iii) इलाहाबाद-बांदा रोड पर इलाहाबाद जिले के अमरेहा गाँव में रारा-76(नया रारा-35) पर 382.930 कि.मी.;

282 GI/2019 (1)

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना का.आ. 838 (अ), तारीख 26 मार्च, 2013 और अधिसूचना का.आ. 896 (अ), तारीख 26.03.2014 के अधिक्रमण में, क्रम सं. 77 के संबंध में, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गयी है अथवा करने में लोप करा दी गयी हैं, इलाहाबाद-मंगावन सेक्शन के 0.000 कि.मी. (रारा-2 का 211.700 कि.मी.) से 5.410 किमी (रारा-27 का नया संरेखण) के निवल पहुँच मार्ग सड़क लंबाई 3.900 किमी और समकक्ष संरचना लंबाई (जिसकी लंबाई 60 मी से अधिक है) 15.100 कि.मी. (जिसकी लंबाई 1.510 कि.मी. है) के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर और सारिणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्गहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारिणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूर्विंग उपस्कर	3.45
(ईएमई) या बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लंबाई हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात;

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सेक्शन	लम्बाई (किलोमीटर	दर जिस पर शुल्क संदेय
		में) जिसके लिए	है
		शुल्क संदेय है	
रारा-27 के 38.200 कि.मी. पर, गन्ने के निकट			
हारो गाँव, इलाहाबाद जिला, उत्तर प्रदेश			
रारा-76(ई) (नया रारा-35) के 417.250 कि.मी.			
पर, मुंगारी गाँव, इलाहाबाद जिला	0.000 कि.मी. से	3.900 कि.मी.	ऊपर सारणी- 1 में
	5.410 कि.मी. (नैनी	(60 मी से अधिक	उल्लिखित आधार दरों
	ब्रिज सेक्शन)	लंबाई की संरचना	का 100 %
रारा-76 (नया रारा-35) के 382.930 कि.मी.		को छोड़कर)	
पर, अमरेहा गाँव, इलाहाबाद जिला			

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

, , ,	11.11.34 3.1. 11 11.31 -11 (1.2.1 6		
टोल प्लाजा का अवस्थान	सड़क की समकक्ष लम्बाई में	सड़क की समकक्ष लम्बाई	दर जिस पर शुल्क संदेय है
(चैनेज)	परिवर्तित किए जाने हेतु	(कि.मी. में)	
	संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी.		
	में)		
रारा-27 के 38.200 किमी			
पर, गन्ने के निकट हारो गाँव,			
इलाहाबाद जिला, उत्तर प्रदेश			
रारा-76(ई) (नया रारा-35)	1.510*	15.100	 ऊपर सारणी- 1 में
के 417.250 किमी पर,	1.510	10.100	उल्लिखित आधार दरों का
मुंगारी गाँव, इलाहाबाद			100 %
जिला			
रारा-76 (नया रारा-35) के			
382.930 किमी पर, अमरेहा			
गाँव, इलाहाबाद जिला			

*ब्यौरे निम्नलिखित है:

	चैने ज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	-0.370	1.140	नैनी ब्रिज	1.510

- 3. उल्लिखित शुल्क प्लाज़ा के पारकर यात्रा करने वाले यात्री, लेकिन रारा-27 के 0.000 किमी (रारा-2 का 211.700 किमी) से 5.410 किमी (रारा-2 का नया संरेखण) के सेक्शन पर यात्रा न करने वाले यात्रियों अर्थात, जो यात्री बांदा(रारा-76), मिर्ज़ापुर(रारा-76 ई) के बीच या म.प्र./उ.प्र. सीमा/रेवा की ओर यात्रा करते हैं लेकिन यमुना ब्रिज(नैनी ब्रिज) का प्रयोग नहीं करते हैं, प्राधिकरण द्वारा उनके हित को उपयुक्त व्यवस्था के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा।
- 4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2018-19 के लिए मासिक पास की दर 255.00/- रूपए (दो सौ पचपन रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
गर्स्ट गार्ग में दिए शब्द हा नेट	 दो	संदाय के समय से चैबीस घंटे
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दा	सदाय क समय स चवास वट
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

- 6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का **50%** होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- 7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को नियम 10 के उप नियम 1ए में विनिर्दिष्ट के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमित नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए।
- 8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।
- 9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- 10. ऊपर सारिणी-1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रित िकलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्ड की पूरी कर ली गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा।
- 11. नैनी ब्रिज परियोजना की पूंजीगत लागत 295.73 करोड़ रुपए है और प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण द्वारा संग्रहीत राजस्व के 12% की छूट के पश्चात, शेष पूंजीगत लागत 267.70 करोड़ रुपये की वसूली अभी (सितंबर, 2018 तक) की जानी है। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जिरए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/17-18/जीसी इलाहाबाद(नैनी ब्रिज)]] अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2019

S.O. 298(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 78 (E) dated the 4th February, 1999 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km.0.000 (km 211.700 of NH-2) to Km.45.62 (Allahabad to Uttar Pradesh/Madhya Pradesh Border section) on NH-27 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government, vide notification S.O. 838(E), dated the 26th March, 2013 as amended vide notification S.O. 896 (E), dated the 26th March, 2014 authorised the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, fee for use of Km.0.000 (Km.211.700 of NH-2) to Km.5.410 (new alignment of NH-27) (Allahabad-Mangawan Section) for Naini Bridge in the State of Uttar Pradesh;

And whereas the Authority has now decided to shift or merge Naini toll plaza with three adjoining toll plazas for recovery of balance capital cost at following three toll plazas, namely: -

- (i) Km. 417.250 at Mungari village, Allahabad District on NH-76E (New NH-35) Allahabad-Mirzapur Road;
- (ii) Km. 38.200 at Harro village Near Ganne in Allahabad District on NH-30 (Old NH-27) Allahabad-UP/MP Border Road:
- (iii) Km. 382.930 at Amreha Village in Allahabad District on NH 76(New NH-35) Allahabad-Banda Road.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of the notification S.O. 838(E), dated the 26th March, 2013 and notification S.O. No. 896 (E) dated 26th March, 2014, in so far as it relates to S. No. 77, except as inputs things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net approach road length of 3.900 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 15.100 km (having length of 1.510 km) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Allahabad-Mangawan section Km.0.000 (Km.211.700 of NH-2) to Km. 5.410 (new alignment of NH-27) and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the either of the following Fee Plaza (s) for net road length specified for such Fee Plaza (s), namely: -

Location of Fee Plaza (chainage)	Section	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 38.200 of NH-27 at Harro village near Ganne, Allahabad district of Uttar Pradesh At Km 417.250 at Mungari village, Allahabad District on NH-76E (New NH-35)	Km 0.000 to km 5.410 km (Naini Bridge section)	3.900 km (Excluding length of structure > 60 m)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km 382.930 at Amreha Village in Allahabad District on NH 76(New NH-35)			

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 38.200 of NH-27 at Harro village near Ganne, Allahabad district of Uttar Pradesh			100% of the base rates mentioned in
At Km 417.250 at Mungari village, Allahabad District on NH-76E (New NH-35)	1.510*	15.100	Table-1 above
Km 382.930 at Amreha Village in Allahabad District on NH 76 (New NH-35)			

*The details are as under: -

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	То Кт		Lengui (ili kili)
1	-0.370	1.140	Naini Bridge	1.510

- 3. In order to protect the interest of those commuters who shall cross the fee plaza as mentioned in Para 1 but shall not travel on section from km 0.000 (km 211.700 of NH-2) to km 5.410 (new alignment of NH-2) of NH-27, i.e. those commuters who travel between Banda (NH-76), Mirzapur (NH-76E) or towards MP/UP Border/ Rewa but do not use Yamuna Bridge (Naini Bridge), shall be protected by the Authority through a suitable mechanism.
- 4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 255.00 (Rupees Two Hundred Fifty-five only) for the year 2018-19 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

- 6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle, provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fees specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
- 9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
- 10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, in English and vernacular language.
- 11. The Capital cost of Naini Bridge project is Rs. 295.73 Cr. and after discounting 12% of the revenue collected through user fee collection, the balance capital cost yet to be recovered is Rs. 267.70 Cr. (upto Sept, 2018). The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/17-18/GC Allahabad (Naini bridge)]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.